"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर 2017 — अग्रहायण 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ–10–95/2017/वाक/पांच (174). — छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य कर (दर), क्रमांक एफ 10–43/2017/वाक/पांच (69), दिनांक 28 जून, 2017 जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में, –

(i) पृष्ठ 504(12) के क्रम संख्या 180 में "30" के स्थान पर "30 या कोई अध्याय" पढ़ें ;

(ii) पृष्ठ 504(47) के क्रम संख्या 42 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप करें ;

(iii) पृष्ठ 504(47) के क्रम संख्या 43 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप करें ;

(iv) पृष्ठ 504(47) के क्रम संख्या 44 में "उनसे भिन्न" शब्दों का लोप करें ;

(iv) पृष्ठ 504(79) के क्रम संख्या 411 में "चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य" के स्थान पर "चश्में [संशोधक से भिन्न]" पढ़ें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ–10–95/2017/वाक/पांच (174). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–95/2017/वाक/पांच (174), दिनांक 24–11–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 24th November 2017

CORRIGENDUM

No. F-10- 95/2017/CT/V (174). — In the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 1/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely -

(i) at page 504(113), in serial no. 180, for "30" read "30 or any Chapter";

(ii) at page 504(138), in serial no. 42, omit the words "other than those";

(iii) at page 504(157), in serial no. 411, omit the words "goggles and the like, corrective, protective or other".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.